**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBINAL**

**PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

**REPLY TO THE OBJECTION IN-RESPECT OF JOINT INSPECTION COMMITTE'S REPORT SUBMITTED BY THE APPLICANT**

**IN REF:**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 235 OF 2022**

**IN THE MATTER OF :**

**Ramsrikha Sudeshwari Social welfare Foundation**

**.........Applicant**

**Versus**

**State of Uttar Pradesh and other**

**........Respondents**

# INDEX



| Sl. No. | Prticulars | Page Nos. |
|---|---|---|
| 1. | Reply to the objection in-respect of joint inspection committe's report submitted by the applicant | 1-4 |
| 2. | Copy of the FIR dated 30-08-2021 | 5 |
| 3. | Copy of the Said complaint Dated 06-09-2021 | 6-8 |
| 4. | Copy of the Said FIR dated 07-09-2021 | 9-13 |
| 5. | Copy of the Bail order dated 29-09-2021 | 14-20 |
| 6. | Copy of the "No objection certificate" issued by the Pradhan | 21-24 |
| 7. | Proof of Service | 25 |



Dated 07.01.2023


**( MANOJ KUMAR )**
**Advocate**
**Counsel for Respondent No.6**
**E.No. UP1502/78, COP No. 193761**
**GF-1, Shubh Apartment 489/211**
**Vivekanandpuri, Faijabad Road,**
**Lucknow-226007**
**email-manojkumar.dgm@gmail.com**

1

# BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBINAL

## PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

## REPLY TO THE OBJECTION IN-RESPECT OF JOINT INSPECTION COMMITTE'S REPORT SUBMITTED BY THE APPLICANT

**IN REF:**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 235 OF 2022**

**IN THE MATTER OF :**

**Ramsrikha Sudeshwari Social welfare Foundation**

**.........Applicant**

**Versus**

**State of Uttar Pradesh and other**

**........Respondents**

I, Smt. Shabira khatoon, aged about 70 years wife of Late Sri Shoeb Ahmad, Religion- Islam, Qualification- literate Occupation – Stone crashing, the deponent do hereby solemnly affirm and states on oath as under :-

1- That the deponent is at present resident of Mohalla- Vivek Nagar, Town-Kabrai, District- Mahoba (U,P,), and as such she is fully conversant with the facts and circumstances of the case.

2- That the objection regarding joint inspection report dated- 03-11-2022, raised by the applicant is baseless hence emphatically denied. It is further submitted that mining plan has been approved by the Director, Geology and mining U.P. Lucknow on 31-10-2018 and than E.C. has been obtained thus the objection of the applicant are totally without base.

NOTARY A.K. SINGH (ADVOCATE) Supreme Court of India Regn No. 16959/2020 Exp. Date. 31.01.2025 GOVT. OF INDIA

3- That some facts and circumstances are very vital for proper adjudication of the matter which are mentioning as under :-

**(i).** That the one Shri Husain S/O Sri Chunubad, worker of the deponent/respondent No. 6 has lodged F.I.R. (N.CR No. 0202/2021) dated 30-08-2021 against the learned advocate of the applicant namely Er. Sarath Kumar Vyas under section 323 and 504 of the Indian Penal Code regarding abusing and beating by Sticks Consequently he sustain injury on his body.

A photo copy of the FIR dated 30-08-2021 is being annexed herewith as **ANNEXURE No. RCA-1** to this affidavit.

**(ii).** That the learned advocate of the applicant namely Sri Sarath Kumar Vyas also occupied the leased hold area and house made therein of the deponent/respondent No. 6 with effect from 30-08-2021 till 06-09-2021 and during this period he along with other gundas also destroyed the mining machinery and damage the house and restrained the workers of the deponent to inter in the house and lease hold area. It is further submitted that the son of the deponent/ respondent no. 6 namely Atique Ahmad filed a complaint before the District Magistrate, Mahoba on 06-09-2021 and copies of the same also forwarded to of the Hon'ble Chief Minister and other top most officers of the State Government.

A copy of the Said complaint Dated 06-09-2021 is being annexed herewith as **ANNEXURE No- RCA-2** to this affidavit.

**(iii).** That the learned advocate of the applicant Sri Sarath Kumar Vyas associated with local gundas with the help of "Trishul" (Iron made known the weapon of lord Shiva) and Sticks for not fully filling the demand of Rs. 6 lakhs try to throw on fire

NOTARY
A.N. SINGH
(ADVOCATE)
Supreme Court of India
Regn No. 16959/2020
Exp. Date. 31.01.2025
GOVT. OF INDIA

with *melafide* intention to kill one Sri Ramakant Dwivedi, one of the manager of the deponent/respondent no. 6 than Sri Ramakant Dwivwdi lodged the FIR No. 0271, dated 07-09-2021 P.S. Kabrai. It is further submitted that the Superintendent of police, Mahoba also deployed the PAC For safety purpose nearing the house of the deponent situate near by the mining area. at village Singhan pur Baghari

A copy of the Said FIR dated 07-09-2021 is being annexed as **ANNEXURE No- RCA-3** to this affidavit.

**(iv).** That in pursuance of FIR dated 07-09-2021 crime No. 271 of 2021 under Section 147, 148, 323, 504, 506, 307, 386, 427 and 325 Indian Penal code, the police P.S. Kabrai was registered and arrested learned counsel of the applicant. Sri Sarath Kumar Vyas along with Sri Pramod, Lokesh Kumar, Asharam all resident of village Singhanpur Baghari P.S. Kabrai, District- Mahoba and sent them jail. It is further submitted that the learned counsel of the applicant namely Sri Sarath Kumar Vyas filed Bail Application No. 74 of 2021 before the District & Session Judge, Mahoba which decided by the Hon'ble Additional District Session Judge, Mahoba on 29-09-2021 by granting them interim bail.

A copy of the Bail order dated 29-09-2021 is being annexed here with as **ANNEXURE No- RCA-4** to this affidavit.

**(v).** That the learned counsel of the applicant Sri Sarath Kumar Vyas also join the "face-book" in the name of "Player Baba" and some social post of that account without doubt reveals that the applicant have no grievances to the mining operation expect the learned counsel Sri Sarath Kumar Vyas, and the said album shall be placed before your lordship at the time of hearing of the above mentioned case.

NOTARY
A.N. SINGH
(ADVOCATE)
Supreme Court of India
Regn No. 16958/2020
Exp. Date. 31.01.2025
GOVT. OF INDIA

**(vi).** That the Pradhan of Gram Shabha Singhanpur Baghari along with other number of villagers have written no objection certificate in respect by mining operation on the lease hold area in question.

A copy of the "No objection certificate" issued by the Pradhan and other villagers are being annexed herewith as **ANNEXURE No- RCA-5** to this affidavit.

4- That in view of above facts and circumstances it is evident that the afore mentioned application has been filed with *melafide* intention by the learned counsel of the applicant namely Sri Sarnath Kumar Vyas and totally it is abuse of the process of Law and same liable to the dismissed with cost in the interest of justice.

I Identify the deponent who has Signed/Put T.I. in my presence

Certified that the above Named Deponent identify by Shri/Smt Manoj Kumar Adv. Solemenly affarmed before me at Delhi S. No. 0146 The contents of the affidavit which have been read & explained to me are true and correct Notary

05 JAN 2023

صابرہ خاتون
**DEPONENT**

Place : New Dehli

Dated January, 2023

**VERIFICATION**

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of paragraphs no. 1 to 4 of this affidavit are true to the best of my knowledge, and I have not suppressed any material fact.

Verified at New Delhi on this 05 JAN 2023 day of january, 2023

صابرہ خاتون
**DEPONENT**

**IDENTIFICATION**

NOTARY A.N. SINGH (ADVOCATE) Supreme Court of India Regn No 16959/2020 Exp. Date. 31.01.2025 GOVT. OF INDIA

ATTESTED
A.N. Singh, Adv.
Notary Public
Govt. of India, Delhi
Mob.: 9718139591, 7982539115

05 JAN 2023

ANNEXURE No RC…

5

# N.C.R

## NON CONGNIZABLE OFFENCE INFORMATION REPORT

In respect of Non Cognizable Offence

(Under Section 155 Cr.P.C)

# एन.सी.आर

## असंजेय अपराध की सूचना रिपोर्ट

असंजेय अपराध के संदर्भ में

(अंतर्गत धारा 155 द.प्र.सं.)

PS(थाना): कबरई    District(जिला): महोबा    NCR No(असंजेय अपराध प्रतिवेदन सं.) 0202/2021    Date(दिनांक): 30/08/2021

1. Acts & Sections of law (कानून के अधिनियम एवं धाराएँ)

| S.No(क्र.सं.) | Act(s)(अधिनियम) | Sections(धारा(एं)) |
|---|---|---|
| 1 | भा द सं 1860 | 323 |
| 2 | भा द सं 1860 | 504 |

2. Place of occurrence(घटना का स्थान) :

(a) Information Received at P.S(थाने पर प्राप्त सूचना)

Date (दिनांक) : 30/08/2021

Time (समय) : 19:21 बजे

(b) General Diary Reference(संदर्भित रोजनामचा )

G.D. No. (रोजनामचा स.) : 055

G.D. Time (रोजनामचा समय) :19:21 बजे

(c) Occurence Date (घटना दिनांक ) :30/08/2021    Time(समय): 14:30 बजे    Time Range(समयावधि):

(d) Place(स्थान):

3. Name & Residence of Complainant (शिकायतकर्ता का नाम और पता) :

Name (नाम) : हुसैन पुत्र चुनूवाद

| S.No.(क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | सेन्ट्रल ग्रेनाइट,कानपुर रोड कस्बा कबरई,कबरई,महोबा,उत्तर प्रदेश , भारत |
| 2 | स्थायी पता | वांकी तलइया पूर्वी तरौस,कस्बा मौदहा,मौदहा,हमीरपुर,उत्तर प्रदेश , भारत |

4. Name , Father's Name , Age & Residence of Accused/Suspect (अभियुक्त / संदिग्ध का नाम, पिता का नाम, आयु और पता):

(1) a) Name(नाम): सारथ व्यास

b) Father's Name(पिता का नाम): सन्तशरण व्यास

c) Age (आयु) : From(से): To(तक):

d) Residence (निवास):

| S.No.(क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | ग्राम सिंघनपुर वघारी,कबरई,महोबा,उत्तर प्रदेश , भारत |
| 2 | स्थायी पता | ग्राम सिंघनपुर वघारी,कबरई,महोबा,उत्तर प्रदेश , भारत |

5. NCR Contents (असंजेय अपराध रिपोर्ट का विवरण)

नकल तहरीर हिन्दी वादी .... सेवा मे श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना कबरई (महोवा) महोदय निवेदन कराना है कि प्रार्थी मु0 वांकी तलइया पूर्वी तरौस ,मौदहा जिला हमीरपुर का मूल निवसी है प्रार्थी वर्तमान मे कानपुर रोड कबरई थाना कबरई स्थित सेन्ट्रल ग्रेनाइट मे रहकर मजदूरी का कार्य करता है आज दिनांक 30.08.21 को दिन मे करीब 2.30 बजे मै पहाड मालिक के आदेशानुसार ग्राम सिंधनपुर वघारी थाना कबरई स्थित पहाड की खदान का पानी उलीच रहा था कि उसी समय सारथ व्यास पुत्र सन्तशरण व्यास नि0 ग्राम सिंधनपुर वघारी थाना कबरई जिला महोवा आया और दबंगई दिखाते हुये मुझे गन्दी गन्दी गालिया देने लगा मैने उसे गाली देने से रोका तो उसने मुझे बुरी तरह लाठी डंडे से मारा पीटा है जिससे मेरे शरीर मे चोटे आयी है अतः मेरी रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे हस्ताक्षर हुसैनवक्स प्रार्थी हुसैन (50 वर्ष) पुत्र चुनूवाद नि0मु0 वांकी तलइया पूर्वी तरौस मौदहा कोत0 मौदहा जिला हमीरपुर हाल पता सेन्ट्रल ग्रेनाईट कानपुर रोड कबरई (महोवा) मो0 8756144457 दि 30.08.21 नोट प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त एनसीआर की कायमी शब्द व शब्द बोलवोल कर का0 देवराज सिंह द्वारा सीसीटीएनएस पर पंजीकृत करायी गयी ।

6. Particulars of properties Involved (Attach separate sheet, if necessary) (संलिप्त संपति का विवरण(यदि आवश्यक हो पृथक शीट संलग्न करें)):

| S.No.(क्र.स.) | Property Type(संपति का प्रकार) | Property Description (संपति का विवरण) |
|---|---|---|



Te

ANNEXURE No RCA-2

Receiv

6

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
जनपद महोबा।

विषय— ग्राम सिंघनपुर बघारी थाना कबरई जनपद महोबा के गाटा संख्या 482 रकबा 2.024 हे0 स्वीकृत खनन क्षेत्र में कुछ अराजक तत्वों द्वारा रंगदारी माँगने व उसके न देने पर पहाड़ में अवैध तरीके से खनन कार्य को बन्द कराने व झूठे केस में फँसाने की धमकी देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी ने अपनी माता श्रीमती साबरा खातून ग्राम सिंघनपुर बघारी के पहाड़ ग्राम गाटा संख्या 482 रकवा 2.024 हे0, ई–निविदा ई–नीलामी में दिनांक 08–01–2019 से 07–01–2029 तक स्वीकृत है जिससे प्रार्थी द्वारा खनन कर अपनी क्रेशर को माल मुहैया करता है पूर्व में सत्र 1986 से 2016 तक भी प्रार्थी के स्व0 पिता सुऐब अहमद के नाम पट्टा स्वीकृत व खनन कार्य संचालित होता रहा है सन् 1986 से अब तक किसी प्रकार का कोई विवाद नही रहा है।

दिनांक 30–08–2021 को प्रार्थी के पहाड़ गाटा सं0 482 में सारथ व्यास पुत्र सन्तशरण व्यास जो अपने को प्लेयर बाबा भी कहता है, अपने साथियों सहित आये और प्रार्थी के कर्मचारियों को गाली गलौच करते हुये काम बन्द करने की धमकी दी तथा वही पर बने प्रार्थी के मकान, पोकलेण्ड मशीन, वाहन आदि में तोड़ फोड प्रारम्भ कर दी जिस पर कर्मचारी हुसैन द्वारा मना करने पर सारथ व्यास द्वारा लाठी–डण्डो से उसकी मारपीट की गई जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटे आई है उक्त घटना में गॉव के श्री सन्तशरण व्यास जो कि सेवानिवृत्त लेखपाल है, एवं रामकृपाल यादव का पुत्र हुकुम सिंह यादव मौजूदा लेखपाल कुलपहाड़ तहसील में सेवार्थ द्वारा अपने अन्य लोगों अजय पुत्र राधेश्याम उदैया, सोनू पुत्र ओमप्रकाश उदैया, नीलू पुत्र राधाचरण बघेल, सत्यम पुत्र सुखदेव यादव व जीतेन्द्र पुत्र रामप्रसाद यादव द्वारा षड़यंत्र करके दहशत फैलाने हेतु दिनांक 30–08–2021 को प्रार्थी के कर्मचारी हुसैन पुत्र चुनुवाद को मारा पीटा गया जिसकी सूचना कबरई थाने में जीडी सं0 55 दिनांक 30–08–2021 में दर्ज है।

दिनांक 31–08–2021 को प्रार्थी एवं श्री शिवपाल तिवारी पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत कबरई के साथ अपने पहाड़ को देखने के लिये मौके पर गये वहॉ उपरोक्त सारथ व्यास सहित गॉव के श्री सन्तशरण व्यास एवं रामकृपाल यादव द्वारा अपने अन्य लोगों अजय पुत्र राधेश्याम उदैया, सोनू पुत्र ओमप्रकाश उदैया, नीलू पुत्र राधाचरण बघेल, सत्यम पुत्र सुखदेव यादव व जीतेन्द्र पुत्र रामप्रसाद यादव आदि उपस्थित मिले और उन्होंने प्रार्थी एवं शिवपाल तिवारी के साथ अभद्र व्यवहार, गुण्डागर्दी की तथा धमकी दी कि जब तक पट्टाधारक हमको 2.00 लाख (दो लाख रूपया) प्रतिमाह रंगदारी के रूप में नही देगा तब तक हम उसका पहाड़ नही चलने देगें और ये भी कहा कि पहाड़ हमारे गॉव में है हम लोग ही पहाड़ संचालित करेगें और किसी को भी यहॉ कार्य नही करने देगें। प्रशासन भी हमारा कुछ नही बिगाड़ सकता है एवं पुनः पूर्व की भॉति उक्त स्थान पर बने मकान, मशीन आदि पर तोड़ फोड़ करने की धमकी दी।

इसके उपरान्त 02–09–2021 को भी प्रार्थी के पहाड़ स्थित आफिस, पोकलेण्ड मशीन आदि को क्षतिग्रस्त किया गया। पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस मौके पर गई तो उनके सामने भी उक्त सारथ व्यास पहाड़ पर चढ़कर पत्थर फेंकता रहा और पहाड़ से कूद कर आत्म हत्या की धमकी देता रहा।

Scanned with OKEN Scanner

7

दिनांक 04-09-2021 को प्रार्थी द्वारा तहसील दिवस में उक्त लोगों के विरूद्ध शिकायती पत्र दिया गया जिसके आधार पर जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित कमेटी जिसमें कबरई पुलिस थानाध्यक्ष व पुलिस बल के साथ, कानूनगो, लेखपाल, खान सर्वेयर व खान निरीक्षक को सीमांकन एवं मौके की स्थिति का जायजा लेने हेतु भेजा गया था उक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर समुचित पैमाइश कर सीमा चिन्ह स्थापित कराये गये थे, उस समय सारथ व्यास व अन्य सहयोगी मौके पर उपस्थित रहे उक्त टीम के समक्ष ही गाड़े गये सीमा चिन्हों को सारथ व्यास व सहयोगियों द्वारा तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया गया और टीम के मौके पर पहुचने व आने के सम्बन्ध में तमाम गलत एवं भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किये गये तथा श्रीमान जी उक्त सारथ व्यास (प्लेयर बाबा) तथा गॉव के श्री सन्तशरण व्यास व रामकृपाल यादव अपने उपरोक्त साथियों सहित अवैधानित रूप से प्रार्थी पट्टाधारक को भारी भरकम रंगदारी के रूप में रूपया प्राप्त करने के आशय से खनन कार्य में षडयंत्र रचकर व्यवधान उत्पन्न कर रहे है और पट्टेदार के पहाड़ पर अवध रूप से कब्जा करने हेतु प्रयासरत है, जिससे खनन कार्य पूर्णतया बन्द हो गया है। उक्त लोग प्रार्थी व प्रार्थी के कर्मचारियों के विरूद्ध कोई भी संगीन वारदात कारित कर सकते है तथा प्रार्थी के पहाड़ पर चढ़कर, गिरकर या गिराकर या किसी अन्य प्रकार के षड़यंत्र से संगीन वारदात कारित कर प्रार्थी को फॅसाने का कुचक रच सकते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा पहाड़ पर खनन कार्य सुचारू रूप से संचालित नही किया जा सकता, तथा इस स्थिति में प्रार्थी द्वारा सरकारी देय, रायल्टी की मासिक किश्त आदि जमा करना मुश्किल होगा।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी पट्टाधारक के पहाड़ गाटा सं0 482 रकबा 2.024 हे. स्थित मौजा सिंघनपुर बघारी पर गांव के सन्तशरण व्यास, रामकृपाल यादव, सारथ व्यास (प्लेयर बाबा), अजय पुत्र राधेश्याम उदैया, सोनू पुत्र ओमप्रकाश उदैया, नीलू पुत्र राधाचरण बघेल, सत्यम पुत्र सुखदेव यादव, प्रमोद यादव पुत्र शिवपाल यादव, जीतेन्द्र पुत्र रामप्रसाद यादव आदि निवासी ग्राम सिंघनपुर बघारी थाना कबरई महोबा को प्रार्थी द्वारा कराये जा रहे खनन कार्य पर व्यवधान करने से रोका जाये तथा उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुये प्रार्थी पट्टाधारक को न्याय दिलाये जाने की कृपा की जाये।

दिनांक- 06/09/2021

प्रार्थी,

(हस्ताक्षर)

( अतीक अहमद पुत्र स्व0 सुऐब अहमद)
पहाड़ी पट्टेदार प्रतिनिधि
( साबरा खातून पत्नी स्व0सुऐब अहमद)
निवासी विवेकनगर कबरई जिला महोबा

<u>प्रतिलिपि- सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित</u>

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. मा0 अपर मुख्य सचिव (खनिज) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. मा0 आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल बॉदा।
4. श्रीमान खनिज अधिकारी जनपद महोबा। (हस्ताक्षर) 06/9/2021

Scanned with OKEN Scanner

EU129869201IN IVR:6985129869201
SP MAHOBA SO <210427>
Counter No:1,07/09/2021,15:13
To:M MAHANIDESHAK POLICE,,
PIN:211001, Allahabad HO
From:ATIK AHMAD,,
Wt:25gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU129869192IN IVR:6985129869192
SP MAHOBA SO <210427>
Counter No:1,07/09/2021,15:13
To:AAYUKT,,
PIN:210001, Banda HO
From:ATIK AHMAD,,
Wt:24gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU129869189IN IVR:6985129869189
SP MAHOBA SO <210427>
Counter No:1,07/09/2021,15:13
To:POLICE MAHANIDESHAK,,
PIN:226010, Gomti Nagar SO
From:ATIK AHMAD,,
Wt:20gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU129869175IN IVR:6985129869175
SP MAHOBA SO <210427>
Counter No:1,07/09/2021,15:13
To:CM,,
PIN:226001, Lucknow GPO
From:ATIK AHMAD,,
Wt:24gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU129869161IN IVR:6985129869161
SP MAHOBA SO <210427>
Counter No:1,07/09/2021,15:13
To:POLICE MAHANIRIKSHAK,,
PIN:210001, Banda HO
From:ATIK AHMAD,,
Wt:24gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU129869158IN IVR:6985129869158
SP MAHOBA SO <210427>
Counter No:1,07/09/2021,15:13
To:APAR MUKHYA SACHIV,,
PIN:226001, Lucknow GPO
From:ATIK AHMAD,,
Wt:25gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

Scanned with OKEN Scanner

TC

4/41

ANNEXURE NO RCA-3

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

9

# FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): महोबा
 P.S. (थाना): कबरई
 Year (वर्ष): 2021
 FIR No. (प्र.सू.रि. 0271
 Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 07/09/2021 00:18 बजे

2.

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|---|---|---|
| 1 | भा द सं 1860 | 147 |
| 2 | भा द सं 1860 | 148 |
| 3 | भा द सं 1860 | 323 |
| 4 | भा द सं 1860 | 504 |
| 5 | भा द सं 1860 | 506 |
| 6 | भा द सं 1860 | 307 |
| 7 | भा द सं 1860 | 386 |
| 8 | भा द सं 1860 | 427 |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
 1. Day (दिन): सोमवार
 Date From (दिनांक से 06/09/2021
 Date To ( दिनांक तक ): 06/09/2021
 Time Period (समय अवधि): पहर 5
 Time From (समय से ): 13:30 बजे
 Time To (समय तक): 13:30 बजे
 (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई ):
 Date (दिनांक ): 07/09/2021
 Time (समय): 00:18 बजे
 (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ ):
 Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002
 Date & Time (दिनांक और समय): 07/09/2021 00:18 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
 1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा ): उत्तर - पश्चिम, 20 किमी
 Beat No. (बीट सं.):
 (b) Address (पता): अतीक अहमद का पहाड़ व घर ,बाहुट ग्राम सिघनपुर सथारी
 (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
 Name of P.S. (थाना का नाम):
 District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता ):
 (a) Name (नाम): श्री रामाकान्त द्विवेदी
 (b) Father's Name (पिता का नाम) : श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष ): 1991
 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
 Date of Issue (जारी करने की तिथि):
 Place of Issue (जारी करने का स्थान ):
 (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

| S.No.(क्र.सं.) | Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) | Id Number (पहचान संख्या) |
|---|---|---|
| 1 | | |

(h) Address (पता):



थाना कबरई * (महोबा) * जनपद

(h)Address (पता):

| S.No.(क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | ग्राम सिघनपुर बघारी,कबरई,महोबा,उत्तर प्रदेश,भारत |
| 2 | स्थायी पता | ग्राम सिघनपुर बघारी,कबरई,महोबा,उत्तर प्रदेश,भारत |

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):91-8887640157

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

| S.No.(क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address (वर्तमान पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सारथ व्यास | | पिता का नाम : अज्ञात | 1. ग्राम सिघनपुर बघारी,कबरई,महोबा, उत्तर प्रदेश,भारत |
| 2 | सोनू उदैया | | पिता का नाम : अज्ञात | 1. ग्राम सिघनपुर बघारी,कबरई,महोबा, उत्तर प्रदेश,भारत |
| 3 | लोकेश विस्वकर्मा | | पिता का नाम : अज्ञात | 1. ग्राम सिघनपुर बघारी,कबरई,महोबा, उत्तर प्रदेश,भारत |
| 4 | प्रमोद यादव | | पिता का नाम : अज्ञात | 1. ग्राम सिघनपुर बघारी,कबरई,महोबा, उत्तर प्रदेश,भारत |
| 5 | जीतेन्द्र यादव | | पिता का नाम : अज्ञात | 1. ग्राम सिघनपुर बघारी,कबरई,महोबा, उत्तर प्रदेश,भारत |
| 6 | सत्यम | | पिता का नाम : अज्ञात | 1. ग्राम सिघनपुर बघारी,कबरई,महोबा, उत्तर प्रदेश,भारत |
| 7 | संत शरण व्यास | | पिता का नाम : अज्ञात | 1. ग्राम सिघनपुर बघारी,कबरई,महोबा, उत्तर प्रदेश,भारत |
| 8 | राम कृपाल यादव | | पिता का नाम : अज्ञात | 1. ग्राम सिघनपुर बघारी,कबरई,महोबा, उत्तर प्रदेश,भारत |
| 9 | अजय उदैया | | पिता का नाम : अज्ञात | 1. ग्राम सिघनपुर बघारी,कबरई,महोबा, उत्तर प्रदेश,भारत |
| 10 | आशाराम विस्वकर्मा | | पिता का नाम : अज्ञात | 1. ग्राम सिघनपुर बघारी,कबरई,महोबा, उत्तर प्रदेश,भारत |
| 11 | 7-8 व्यक्ति नाम अज्ञात | | पिता का नाम : अज्ञात | 1. अज्ञात ,अज्ञात |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (संपत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति का प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|---|---|---|---|---|

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो

| S.No. (क्र. | UIDB Number (यू.डी.प्रकरण |
|---|---|

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य ):

नकल तहरीर हिन्दी वादी ............सेवा मे श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना कबरई जिला महोबा।महोदय निवेदन है कि प्रार्थी पट्टाधारक अतीक अहमद के पहाड़ स्थित सिघनपुर बघारी में मुनीम के रूप में काम करता है। आज दि0 06-09-2021 को समय करीब 13:00 बजे दोपहर सूचना मिली की उक्त पहाड के पास बने कम्पनी के आफिस एवं मकान में गाँव के कुछ लोग तोडफोड कर रहे हैं। प्रार्थी मौके पर पहुचा तो देखा कि सिघनपुर बघारी के श्री सारथ व्यास अपने हाथ में लोहे की त्रिशूल लिये हुये व सोनू उदैया अपने हाथ में अवैध तमचा लिये हुये, प्रमोट यादव व लोकेश विस्वकर्मा ,जीतेन्द्र, सत्यम, अजय उदैया, संतशरण व्यास, रामकृपाल यादव , आशाराम विस्वकर्मा तथा 7-8 अज्ञात व्यक्ति अपने हाथों में लाठी-डण्डा लिये हुये



थाना कबरई जनपद-महोबा (उ0प्र0)

के पास बने आफिस व मकान पर तोड़ फोड़ कर रहे थे वही मौजूद पहाड़ कर्मचारी गनेश कुशवाहा एवं राहुल सिंह जान-माल के भय से दूर खड़े थेप्रार्थी ने उक्त सारथ व्यास वगैरह का मकान मे तोड़ फोड़ करने से मना किया तो उक्त समस्त लोगों ने प्रार्थी को बुरी बुरी गालियाँ दी और सारथ व्यास वगैरह सभी ने कहा कि तुम्हारे मालिक ने अभी तक 6.00 लाख रुपया रंगदारी का नही दिया है। जब तक तुम लोग मरोगे नही तब तक वह पैसा नहीं देगा,और ऐसा कहते हुये प्रार्थी को सारथ व्यास ने अपने हाथ में लिये हुये लोहे के त्रिशूल से व सोनू उदैया, प्रमोद यादव, जीतेन्द्र व सत्यम तथा लोकेश विश्वकर्मा, संतशरण व्यास, रामकृपाल यादव ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से अपने-अपने हाथों में लिए लाठी डण्डों से मारने पीटने लगे तथा सारथ व्यास आवाज लगाते हुए कहा जान से मारो सालों को जिससे प्रार्थी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर गया तो सारथ व्यास ने अपने साथी लोकेश व सोनू से जल्दी से मिट्टी का तेल और माचिस माँगा और कहने लगा कि साले को अब जिन्दा जला दो तभी इनका मालिक रुपया देगा।प्रार्थी के चिल्लाने पर वही मौजूद गनेश कुशवाहा व राहुल सिंह ने बचाओ-बचाओ करके शोर मचाया तथा बचाने को दौड़े और शोर सुनकर गांव के लोगों को भी आता देख उक्त सारथ व्यास वगैरह प्रार्थी को आइन्दा जान से मार डालने की धमकी देते हुये भाग गये। गांव के लोगो ने मुझे थाना कबरई लाये। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त सारथ व्यास,सोनू उदैया,लोकेश विश्वकर्मा ,प्रमोद यादव, जीतेन्द्र यादव, सत्यम तथा सन्तशरण व रामकृपाल यादव निवासीगण सिचनपुर बघारी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाये ।तहरीर लेखक राकेश सिंह पुत्र श्री राम सिंह कबरई दि. 07-09-2021 हस्ताक्षर रमाकान्त प्रार्थी रमाकान्त द्विवेदी पुत्र श्री रमेशचन्द्र द्विवेदी सिचनपुर बघारी कबरई जिला महोबा 8887640157 नोट प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मुकदमे की कायमी तथा उपरोक्त तहरीर की नकल का0 मु0 देवराज सिंह द्वारा शब्द व शब्द बोल बोल कर कम्प्यूटर पर अंकित कराया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation:

or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Mahendra Singh Tomar Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No.( 812100527 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए ):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / Informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): DINESH SINGH
Rank(पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 9454403886

दिनेश सिंह
थानाध्यक्ष
थाना-कबरई,जिला-महोबा

थाना कबरई

**Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):**

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )**

**(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))**

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth (जन्म तिथि | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद (से.मी.)) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | पुरुष | | | | | |
| 2 | पुरुष | | | | | |
| 3 | पुरुष | | | | | |
| 4 | पुरुष | | | | | |
| 5 | पुरुष | | | | | |
| 6 | पुरुष | | | | | |
| 7 | पुरुष | | | | | |
| 8 | पुरुष | | | | | |
| 9 | पुरुष | | | | | |
| 10 | पुरुष | | | | | |
| 11 | अज्ञात | | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा/बोली) | Place Of (का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान ) | Leucoderma (लुकोडेर्मा(सफेद धब्बे)) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव ) | Tattoo (गूदे हुए का ) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |



थाना कबरई * जनपद-महोबा (उ0प्र0)

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

थाना कबरई * जनपद–महोबा (उ0प्र0)

ANNEXURE NO RCA-4

14

CANCELLED
TWENTY RUPEES

20/ 15-10-22 [illegible]

न्या० अपर मुख्य न्यायिक कोर्ट (ज) गोहाना

मु० अ० सं० 74/21

सत्यवान / सरकार

धारा → 147, 148, 323, 504, 506

307, 386, 427, 395 IPC.

थाना - बरोदा

नकल आ० → 29-9-21 की छायाप्रति
फोलियो के साथ सलग्न है।

# केवल नकल की फीस के लिये

| आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख<br>Date on which application is made for copy accompanid by the requisite stamps | नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख<br>Date of posting notice on notice board | नकल वापिस दिए जाने की तारीख<br>Date of delivery of copy | नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर<br>Signature of official delivering copy |
|---|---|---|---|
| 20<br>15-12-2022<br>पन्द्रह दिसंबर | 15-12-2022<br>पन्द्रह दिसंबर | 15-12-2022<br>पन्द्रह दिसंबर | 15/12/22<br>प्रधान प्रतिलिपिक<br>जनपद न्यायालय<br>महोबा |

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0—1 / विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0 अधिनियम

महोबा

पीठासीन अधिकारी— राजीव कुमार पालीवाल, एच0जे0एस0

UPMB010018952021

---

जमानत आवेदन सं0— 74 / 2021
जमानत आवेदन कम्प्यूटर संख्या 953 / 2021
सारथ व्यास आदि बनाम सरकार

---

धारा— 147, 148, 323, 504, 506, 307, 386, 427, 325 भा0दं0सं0
थाना -कबरई, जिला महोबा।
अपराध संख्या— 271 / 2021

29.09.2021

पुलिस थाना कबरई जिला महोबा के मुकदमा अपराध संख्या 271 / 2021 अन्तर्गत धारा 147, 148, 323, 504, 506, 307, 386, 427, 325 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण सारथ व्यास पुत्र सन्तशरण प्रमोद पुत्र शिवपाल यादव, लोकेश कुमार पुत्र मंगलदास, आशाराम पुत्र श्याम विश्वकर्मा निवासीगण ग्राम सिंघनपुर बघारी थाना कबरई जिला महोबा की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि फरियादी रमाकान्त द्विवेदी पुत्र श्री रमेश चन्द द्विवेदी पट्टाधारक अतीक अहमद के पहाड़ स्थित सिंघनपुर बघारी में मुनीम के रूप में काम करता है। दिनांक—06.09.2021 को समय करीब 13:00 बजे दोपहर सूचना मिली कि उक्त पहाड़ के पास बने कम्पनी के ऑफिस एवं मकान में गांव के कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। फरियादी मौके पर पहुंचा तो देखा कि संघनपुर बघारी के श्री सारथ व्यास अपने हाथ में लोहे की त्रिशूल लिये हुये व सोनू रुदैया अपने हाथ में अवैध तमंचा लिये हुये, प्रमोद यादव व लोकेश विश्वकर्मा, जीतेन्द्र, सत्यम, अजय, रुदैया, संतशरण व्यास, रामकृपाल यादव आशाराम विश्वकर्मा तथा 7—8 अज्ञात व्यक्ति अपने हाथों में लाठी डण्डा लिये हुये पहाड़ के पास बने ऑफिस व

29/09/2021

Scanned with OKEN Scanner

मकान पर तोड़ फोड़ कर रहे थे। वहीं मौजूद पहाड़ कर्मचारी गनेश कुशवाहा एवं राहुल सिंह जान–माल के भय से दूर खड़े थे। प्रार्थी ने उक्त सारथ व्याय वगैरह को मकान में तोड़फोड़ करने से मना किया तो उक्त समस्त लोगों ने प्रार्थी को बुरी–बुरी गालियां दी और सारथ व्यास वगैरह सभी ने कहा कि तुम्हारे मालिक ने अभी तक 6 लाख रूपये रंगदारी का नहीं दिया है। जब तक तुम लोग मरोगे नहीं, तब तक वह पैसा नहीं देगा और ऐसा कहते हुए प्रार्थी को सारथ व्यास ने अपने हाथ में लिये हुए लोहे के त्रिशूल से व सोनू उदैया, प्रमोद यादव, जीतेन्द्र व सत्यम तथा लोकेश विश्वकर्मा, संतशरण व्यास, रामकृपाल यादव ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से अपने–अपने हाथों में लिए लाठी–डण्डों से मारने–पीटने लगे तथा सारथ व्यास ने आवाज लगाते हुए कहा कि जान से मारो सालों को जिससे प्रार्थी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर गया तो सारथ व्यास ने अपने साथी लोकेश व सोनू से जल्दी से मिट्टी का तेल और माचिस मांगा और कहने लगा कि साले को अब जिन्दा जला दो, तभी इनका मालिक रूपया देगा। प्रार्थी के चिल्लाने पर वहीं मौजूद गनेश कुशवाहा व राहुल सिंह ने बचाओ–बचाओ करके शोर मचाया तथा बचाने को दौड़े और शोर सुनकर गांव के लोगों को भी आता देख उक्त सारथ व्यास वगैरह प्रार्थी को आईन्दा जान से मार डालने की धमकी देते हुए भाग गये। गांव के लोग फरियादी को थाना कबरई लाये।

फरियादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक–07.09.2021 को समय 00:18 बजे थाना कबरई जिला महोबा पर अभियुक्तगण सारथ व्यास, सोनू उदैया, लोकेश विश्वकर्मा, प्रमोद यादव, जीतेन्द्र यादव, सत्यम, संत शरण व्यास, रामकृपाल यादव, अजय उदैया, आशाराम विश्वकर्मा व 7–8 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध मु0अ0सं0–271 / 2021 अन्तर्गत धारा–147, 148, 323, 504, 506, 307, 386, 427 भा0दं0सं0 पंजीकृत किया गया। तदोपरान्त अभियुक्तगण का रिमाण्ड न्यायालय प्रस्तुत होने पर उक्त अपराध में धारा–325 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

अभियुक्त पक्ष की ओर से जो जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें मुख्य रूप से इस आशय के कथन किये गये हैं कि अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण को पुलिस से मिलकर जबरन फंसाया गया है। पट्टा धारक अतीक अहमद द्वारा अपने राजनैतिक बाहुबल से सिद्ध बाबा मंदिर स्थित ~~सिद्धनापुर~~ सिद्धनापुर बघारी के पहाड़ के कुछ भाग का पट्टा कराकर खनन शुरू किया गया है व मंदिर की दीवाल को गिरवाकर मंदिर स्थल की भूमि पर कब्जा करना

29/09/2021

Scanned with OKEN Scanner

चाहता है। मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है व मंदिर के आस–पास के क्षेत्र का कोई पट्टा अतीक मोहम्मद के पक्ष में नहीं है। वादी के शरीर पर दर्शायी गयी चोटें स्वरचित एवं साधारण प्रकृति की हैं। अभियुक्तगण द्वारा पट्टा धारक के मुनीम/वादी से कभी कोई रंगदारी के रूपयों की मांग नहीं की गयी है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

उक्त आधार पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में शिवपाल पुत्र गयादीन निवासी ग्राम सिंघनपुर बघारी थाना कबरई जिला महोबा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का श्रवण किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क रखे गये कि इस घटना के पूर्व भी थाना कबरई पर दिनांक–30.08.2021 को एन0सी0आर0 दर्ज हुई थी। अभियुक्तगण के द्वारा उद्दापन कारित करने के उद्देश्य से तथा फरियादी को जान से मारने की नियत से घटना कारित की गयी है। त्रिशूल व लाठी–डण्डा से फरियादी के साथ मारपीट हुई है जिससे फरियादी के पैर की अस्थि में भी फैक्चर आया है। चोटों की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियां दर्शित करती हैं कि अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य नहीं है।

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से ही स्पष्ट है कि उद्दापन का कोई अपराध कारित नहीं हुआ है। चोटों की प्रकृति एवं जो परिस्थितियां प्रथम सूचना रिपोर्ट से दर्शित होती हैं, उससे यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्तगण का उद्देश्य फरियादी या किसी व्यक्ति को जान से मारने का था। फरियादी को जो भी चोटें आयी हैं, वह इस प्रकृति की नहीं हैं जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे। अवैध खनन का विरोध करने पर अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्तगण जमानत प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के तर्कों के प्रकाश में केस डायरी तथा

29/09/2021

Scanned with OKEN Scanner

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रपत्रों एवं जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रपत्रों का सम्यक रूपेण परिशीलन किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा दिनांक--06.09.2021 को समय 13:20 बजे घटना कारित किया जाना बताया जाता है, जबकि सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक--07.09.2021 को 00:18 बजे दर्ज हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस तथ्य का भी उल्लेख है कि अभियुक्तगण द्वारा रंगदारी न दिये जाने की बात पर लाठी--डण्डों से मारपीट की गयी। घटना के समय अभियुक्त सारथ व्यास लोहे का त्रिशूल व सोनू उदैया अवैध तमंचा लिया हुआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि फरियादी के शरीर पर कहां--कहां किस प्रकृति की चोटें आयीं हैं।

न्यायालय का मत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी तथ्यों का उल्लेख हो, यह आवश्यक नहीं है, परन्तु केस डायरी के सम्यक रूपेण परिशीलन से विशेष तौर पर आहत रमाकांत द्विवेदी के चिकित्सीय आख्या व उसकी एक्स--रे रिपोर्ट से प्रथम दृष्ट्या उसके किसी मर्म स्थल पर जीवन को संकटापन्न करने वाली कोई चोट दर्शित नहीं होती है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। प्रकरण की परिस्थितियों तथा जिस प्रकार के अस्त्र--शस्त्र अभियुक्तगण द्वारा लिया जाना बताये गये हैं, उनके धारण करते हुए जिस प्रकृति की घटना हुई है और जिस प्रकृति की चिकित्सीय आख्या पत्रावली पर मौजूद है और विवेचक की ओर से जो साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा--161 द0प्र0सं0 अंकित किये गये हैं, उनको दृष्टिगोचर रखते हुए तथा प्रकरण के गुणदोष के आधार पर सुनिश्चित होने वाले निराकरण के सम्बन्ध में कोई राय व्यक्त न करते हुए न्यायालय के मत में अभियुक्तगण सारथ व्यास, प्रमोद, लोकेश कुमार व आशाराम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार होने योग्य है--

1--अभियुक्तगण प्रत्येक सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष एक लाख पचास हजार रुपये का, स्व--बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करेंगे।

2--अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के उपरान्त अन्वेषण/विचारण के दौरान नियत तिथियों पर विवेचक/न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और अन्वेषण/विचारण में सहयोग करेंगे।

3--अभियुक्तगण ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, जिसको करने का उन पर अभियोग या संदेह है।

22/09/2021

Scanned with OKEN Scanner

4- अभियुक्तगण प्रकरण के तथ्य से अवगत किसी व्यक्ति को विवेचक/न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेंगे।

5- अभियुक्तगण विवेचक/न्यायालय के समक्ष अपना अस्थाई एवं स्थाई पता एवं अपना मोबाईल नम्बर यदि हों, प्रमाण सहित प्रस्तुत करेंगे। विचारण के दौरान पते में परिवतन होने पर अभियुक्तगण इसकी जानकारी विवेचक/न्यायालय को देंगे।

6- जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में अभियोजन पक्ष को जमानत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का तथा न्यायालय को धारा 229क भा0दं0सं0 के प्राविधान के अनुसार उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण की ओर से जमानतें, बन्धपत्र, एवं अन्डर टेकिंग सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अभियुक्तगण को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

29/09/2021

दिनांक 29.09.2021

(राजीव कुमार पालीवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-1/
विशेष न्यायाधीश, द0प्र0क्षे0 अधिनियम,
महोबा।
J.O No.U.P-6305

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय
महोबा

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE NO RCA-5

21

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

51AE 377102

<u>जिस किसी से भी सम्बंधित है</u>

हम सभी प्रार्थीगण हस्ताक्षरकर्ता ग्राम - सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा के निवासी हैं। गाटा संख्या - 482 ग्राम सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा पर श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद द्वारा खण्डा बोल्डर/गिट्टी के खनन कार्य जिए जाने से हम सभी ग्रामीण वासियों को वायुप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण एवं स्वास्थ से सम्बंधित कोई समस्या नहीं है खनन क्षेत्र ब्लास्टिंग करने से पत्थर आदि हमारे घरों व खेतों में नहीं आता हैं। खनन कार्य चलने से हम सभी स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलता है उक्त खनन परियोजना के संचालन एवं उसके खनन कार्य करने से हम सभी को कोई भी आपत्ति नहीं है।

प्रार्थीगण
समस्त ग्रामवासी सिंघनपुर बघारी
तहसील व जनपद महोबा

प्रधान
ग्राम पंचायत
सिंघनपुर बघारी

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

68AE 273813

जिस किसी से भी सम्बंधित है

हम सभी प्रार्थीगण हस्ताक्षरकर्ता ग्राम - सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा के निवासी हैं | गाटा संख्या - 482 ग्राम सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा पर श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद द्वारा खण्डा बोल्डर/गिट्टी के खनन कार्य किए जाने से हम सभी ग्रामीण वासियों को वायुप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण एवं स्वास्थ से सम्बंधित कोई समस्या नहीं है खनन क्षेत्र ब्लास्टिंग करने से पत्थर आदि हमारे घरों व खेतों में नहीं आता हैं | खनन कार्य चलने से हम सभी स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलता है उक्त खनन परियोजना के संचालन एवं उसके खनन कार्य करने से हम सभी को कोई भी आपत्ति नहीं है |

[illegible] 9794435983
विजयपाल 9580387231

[illegible]
6386922058

प्रार्थीगण
समस्त ग्रामवासी सिंघनपुर बघारी
तहसील व जनपद महोबा

अनुज कुमार पाराशर
मो०न० 9140640489

[illegible] 8528912928

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

68AE 273812

<u>जिस किसी से भी सम्बंधित है</u>

हम सभी प्रार्थीगण हस्ताक्षरकर्ता ग्राम - सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा के निवासी हैं | गाटा संख्या - 482 ग्राम सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा पर श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद द्वारा खण्डा बोल्डर/गिट्टी के खनन कार्य जिए जाने से हम सभी ग्रामीण वासियों को वायुप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण एवं स्वास्थ से सम्बंधित कोई समस्या नहीं है खनन क्षेत्र ब्लास्टिंग करने से पत्थर आदि हमारे घरों व खेतों में नहीं आता हैं | खनन कार्य चलने से हम सभी स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलता है उक्त खनन परियोजना के संचालन एवं उसके खनन कार्य करने से हम सभी को कोई भी आपत्ति नहीं है |

रोशनलाल 8953525215

प्रार्थीगण

[illegible] 8887640157 समस्त ग्रामवासी सिंघनपुर बघारी

[illegible] 8707[illegible] तहसील व जनपद महोबा

शिवाकार सिंह 9054141532

छत्रराम [illegible]

Scanned with OKEN Scanne

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

68AE 273814

<u>जिस किसी से भी सम्बंधित है</u>

हम सभी प्रार्थीगण हस्ताक्षरकर्ता ग्राम - सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा के निवासी हैं। गाटा संख्या - 482 ग्राम सिंघनपुर बघारी तहसील व जनपद महोबा पर श्रीमती साबरा खातून पत्नी स्व० सुऐब अहमद द्वारा खण्डा बोल्डर/गिट्टी के खनन कार्य जिए जाने से हम सभी ग्रामीण वासियों को वायुप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण एवं स्वास्थ से सम्बंधित कोई समस्या नहीं है खनन क्षेत्र ब्लास्टिंग करने से पत्थर आदि हमारे घरों व खेतों में नहीं आता हैं। खनन कार्य चलने से हम सभी स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलता है उक्त खनन परियोजना के संचालन एवं उसके खनन कार्य करने से हम सभी को कोई भी आपत्ति नहीं है।

इन्द्रपाल 9005354179

राजाराम

चन्दी

भागेन्द्र 9621069750

उदय 8187065267

प्रीतम 6386327655

प्रार्थीगण

समस्त ग्रामवासी सिंघनपुर बघारी
तहसील व जनपद महोबा

Scanned with OKEN Scanner

# Fwd: Document from Manoj Kumar

25

From: manoj kumar (manojkumar.dgm@gmail.com)

Date: Saturday, January 7, 2023 at 11:58 AM GMT+5:30

---------- Forwarded message ---------
From: **manoj kumar** <manojkumar.dgm@gmail.com>
Date: Fri, 6 Jan 2023, 8:00 pm
Subject: Document from Manoj Kumar
To: <Saaratth@gmail.com>

SKM_28723010604280.pdf

SKM_28723010604280.pdf
2MB